NATIONAL CAMPAIGN COMMITTEE
for Unorganized Sector Workers

Justice V.R. Krishna Iyer
Chairman

R. Venkataramani
Sr. Advocate- Supreme Court
Convenor

Baba Adhav
Working President

Geetha R.
South Regional
Coordinator

S. Bhatnagar
Coordinator
Correspondence Address:
B-19, Subhavna Niketan
Pitampura, Delhi-110034
Phones: 91-11-27013523, 27022243

Email: nccusw@vsnl.net
www. nirmana.org
Mobile: 9810810365

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों संघर्ष का वक्त आ गया है
23 अक्टूबर 2008 को राज्य सभा द्वारा पारित फर्जी अधिनिमय की पोल खोल दो

इस फर्जी अधिनियम के लोकसभा में रखे जाने से पहले में कार्यवाही करनी होगी

10 दिसम्बर 2008 को अपने अपने राज्य में धरना/रैली आयोजित करें
10 से 12 दिसम्बर 2008 संसद भवन नई दिल्ली पर विशाल धरने में शामिल हों

प्रिय साथियों

21 अक्टूबर 2008 को संसद भवन पर आयोजित रैली व प्रधानमंत्री के ज्ञापन पर असंगठित क्षेत्र के 1 लाख से ऊपर मजदूरों के हस्ताक्षर करनवाने में आप सब के सहयोग के लिए धन्यवाद। इस रैली के साथ उस समय चार बैठके भी आयोजित की गयी थी। ये बैठकें– घरेलू कामगारों के कानून पर पर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कानून पर, निर्माण श्रमिकों के कानून के लागू होने पर तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच कार्यरत स्वतंत्र मजदूर संगठनों के बीच तालमेल पर रखीं गयी थी।

इस पत्र में हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर ही बात करेंगे क्योंकि गत 23 अक्टूर 2008 को राज्य सभा में असंगठित क्षेत्र के मजदूर (सामाजिक सुरक्षा अधिनियम)–2007 पारितकर दिया है। उक्त अधिनियम को 34 दिखावटी संशोधनों के साथ पारित किया गया। इसे श्रम मन्त्री श्री ऑस्कर फर्नाडीज़ ने पटल पर रखाथा विपक्ष के सभी संशोधनों को खारिज करते हुए सरकारी संशोधनों को 28 के मुकाबले 34 वोट से पारित कर दिया गया। यह दुःख की बात है कि पूरे देश के असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा जिसमें– रोजगार का नियमन, बच्चों की शिक्षा, मातृत्व सुविधायें स्वास्थ, पेंशन जैसे जरूरी विषय शामिल है– को प्रभावित करने वाले बिल पर चर्चा के लिए राज्य सभा के सिर्फ 62, या लगभग एक चौथाई सांसद ही मौजूद थे और सदन ने इस विषय पर चार घण्टे भी चर्चा के लिए नहीं दिये गये।इस अधिनियम पर राज्य सभा में दो घण्टे के दो सत्रों के बीच में रेल्वे बिल पर भी चर्चा हुई। इस चर्चा में निम्न 11 सांसदों ने अपनी बात रखी – (1) श्री **रूद्रनारायण पाणि** (भाजपा उड़ीसा) (2) श्री **जी. संजीवा रेड्डी** (कांग्रेस आं. प्र.) (3) श्री **के. चंद्रन पिल्लै** (भाजपा, केरल) (4) डा. **के. मलैसामी** (अन्ना दमुक, तमिलानाडू) (5) डा. **जनार्दन** वाधमारे (राकांपा, महाराष्ट्र) (6) प्रो. **अर्जुन कुमार सेनगुप्ता** (चैयरमेन, एन.सी.ई.यू.एस. , पंश्चिम बंगाल) (7) श्री **तिरूनावुक्करसर** (भाजपा मध्य प्रदेश) (8) श्री **तपन कुमार सेन** (माकपा, पश्चिम बंगाल) (9) श्री आर.

अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सदस्य को लिखे कि वे खोखले कानून को लोक सभा में नहीं लाने दें।

सी. सिंह (भाकपा, पश्चिम बंगाल) (10) श्री **भरत कुमार राउत** (शिव सेना, महाराष्ट्र) एवंम् (11) श्री **अवनि रॉय** (रा. सो. पा. पश्चिम बंगाल)। हम जल्दी ही श्रम मन्त्री एवम् श्री तपन कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों व इस चर्चा का संक्षेप आप को भेजेगें।

अगस्त 2008 के आखिर में समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट थी कि केन्द्रीय मंत्री मण्डल ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को पुनः मंजूरी दे दी थी किन्तु इस बिल के ब्यौरे का तब तक नहीं बताया गया जब तक इसे राज्य सभा ने पारित कर दिया। **अब यह स्पष्ट हो गया है कि 10 सितम्बर 2007 का जो बिल** राज्य सभा में रखा गया था और जिसे पुनर्विचार के लिए श्रम मंत्रालय की कमेटी को भेजा गया था **उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किये गये हैं।** यह दुःखद बात है कि श्रम मंत्रालय की कमेटी द्वारा सुझाये गये सभी महत्वपूर्ण सुझावों को नकार दिया गया जैसे–

1. कमेटी सरकार से यह माँग करती है कि राष्ट्रीय न्यूनतम परिलाभ के विचार को कानून का हिस्सा बनाया जाये।..... .....अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 102 वें सम्मेलन में न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा में यह सब शामिल करने के लिए कहा गया था– स्वास्थ्य सुविधा, बीमारी के दौरान मिलने वाले परिलाभ, बेरोजगारी परिलाभ, वृद्धावस्था परिलाभ, अपंगता परिलाभ एवंम् दुर्घटना पश्चात् परिजनों को मिलने वाले परिलाभ.....और राज्य सकरों को इस सूची में नये विषय जोडनें की अनुमति होनी चाहिए। (रिपोर्ट का 21वां पैरा)
2. यह कानून वैधानिक तौर पर राष्ट्रीय न्यूनतम परिलाभ की व्यवस्था करे ताकि असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों के न्यायपूर्ण हक मिल सके। राष्ट्रीय न्यूनतम परिलाभ तीन वर्षों के भीतर सम्पूर्ण असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलने लगें। सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम परिलाभ स्पष्ट जारी करे। एवंम् किन मजदूरों को यह परिलाभ मिलेंगे, बताये। फिलहाल, कमेटी ने उन परिलाभों की मात्रा सुझाव दिया है जैसे– मौत एवम् अपंगता से जुड़े परिलाभ, स्वास्थ्य एवम् मातृत्व एवम् वृद्धावस्था परिलाभ। इन परिलाभों को हर दो वर्ष में भारत सरकार द्वारा मंहगाई/मुद्रास्फीती के अनुसार वढ़ाया जाये। भारत सरकार इन न्यूनतम परिलाभों के अतिरिक्त भी श्रमिकों के लिए और भी आवश्यक परिलाभों की घोषणा कर सकती है जो राष्ट्रीय न्युनतम का हिस्सा न हों। (रिपोर्ट का 22वां पैरा)
3. बिना वैधानिक प्रावधान एवम् सुनिश्चित वित्तीय संसाधनों के अभाव में सामाजिक सुरक्षा योजनांए लागू नहीं की जा सकती है। वित्त की उपलब्धता अनुसार योजना की काट छांट करना या संख्याए घटाना सही नहीं है। इसके लिए एक उचित पारदर्शी संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है जो आवश्यक वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित करेगा जिससे एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण कोष का निर्माण किया जा सके..... यह समय की पाबन्दी से सुनिश्चित करे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक निश्चित हिस्सा जो केन्द्रीय एवम् राज्य सरकारों द्वारा अनुदान ऋण से प्राप्त होगा, जिसमें लाभान्वितों व रोजगार प्रदाताओं द्वारा मासिक योगदान शामिल होगा जैसे ई. एस.आई. व ई.पी.एफ.ओ. होता है। (रिपोर्ट का 30वां पैरा)

संसद व विधान सभा में आप के निर्वान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की राजनीतिक पार्टियो के नेताओं को लिखें कि वे असंगठित क्षेत्र 40 करोड़ मजदूरों और उनके परिवारो के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार का नियमन करने वाले कानून को पूरी गम्भीरता से उठायें

4. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनायी गयी इस योजना के कियान्वयन के लिए राष्ट्रीय एवम् राज्य स्तर पर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की एक टीम बनायी जाये। (रिपोर्ट का 39 वां पैरा)
5. कृषि मजदूरों के लिए अलग कानून एवम् असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रोजगार के नियमन एवम् सेवाओं की शर्तों के लिए अलग कानून हो। (रिपोर्ट का 21वां पैरा)
6. **असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई भी कानून तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक उनके रोजगार एवम् सेवा की स्थितियों का नियमन नहीं किया जायें। श्रम मन्त्रालय की इस कमेटी के सामने प्रस्तुत हर समूह/हर ज्ञापन ने इसी बात पर जोर दिया।** (रिपोर्ट का 41वां पैरा)

जो बदलाव किये गये हैं वो दिखवटी बदलाव हैं क्योंकि सिर्फ नामों को बदला गया है। जैसे अधिनियम के नाम, व इसके विभिन्न भागों से केवल सैक्टर (Sector) शब्द हटा दिया गया है और केन्द्रीय एवम् राज्य स्तरीय बोर्ड से सलाहकार (Advisory) शब्द हटा दिया गया है। श्रम विभाग एवम् त्रिपक्षिय बोर्ड की व्यवस्था की जगह जिला प्रशासन के अनर्तगत 'श्रमिक सुविधा केन्द्र' को रखा गया है जो विभिन्न कार्य करेगें। जिसका नतीजा होगा सभी असंगठित क्षेत्र से ट्रेड यूनियन की समाप्ती ताकि अफसरशाही को पंजिकरण और परिलाभ देने में भ्रष्टाचार की छूट रहे। परिलाभों को बी.पी.एल (गरीबी रेखा से नीचे) के ढ़कोसले से जोड़ना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के मानविय अधिकारों को नकारना है। संक्षेप में हम यह कह सकते है कि **श्रम मन्त्रालय को स्टेंडिंग कमेटी द्वारा सुझाये गये एक भी महत्वपूर्ण सुझाव को इस बिल में नही माना गया है।** असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी अनुकम्पा या भीख पर निर्भर मजदूर समझया अनुचित है क्योंकि वे देश के सकल उत्पादन का 65 प्रतिशत पैदा करने वाले उत्पादक नागरिक है। असंगठित क्षेत्र से ली जा सकने वाली विभिन्न लेवी (उपकर) के अतिरिक्त केन्द्र व राज्य की दोनों सरकारों को अपनी सालान आयका कमसे कम 3 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के खाते में तब तक डालते रहना चाहिए जब तक की यह कोश कम से कम देश के सकल उत्पादन के 3 प्रतिशत के बारावर न हो जाये ।तब ही असंगठित क्षेक के 40 करोड़ा मजदूरों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सकती हैं।

रैली एवम् राष्ट्रीय अभियान समिति को बैठक के बाद जब 21 अक्टूबर 2008 को जब तमिलनाडू मजदूर फेडरेशन के साथि श्रम मन्त्री श्री ऑस्कर फर्नाण्डीज़ से मिले तो मन्त्री महोदय ने बताया कि वो इस सरकारी बिल को अगले दिन राज्य सभा से पारित करवा लेंगे और उसके अगले दिन लोकसभा से। अतः असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने अपने चेयरमैन जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यार से सम्पर्क किया जिन्होंने तुरन्त प्रधानमन्त्री को खत लिखा कि "असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति के संशोधनों/सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जाये व इनकी न्यायपूर्ण पालन हो।

प्रधानमन्त्री को लिखें कि वे
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कानून को लोक सभा में लाने से पहले
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की अभियान समिति द्वारा सुझाये गये संशोधनो पर
केबिनेट की रजामन्दी प्राप्त करें।

जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यार के 23.10.2008 के इस पत्र की फोटोप्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न है। 23.10.2008 शाम तक इस पत्र की प्रतियाँ लोक सभा एवम् राज्य सभा में सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को सौंप दी गयी एवम् एक प्रति लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी को भी दी गयी। यह निश्चित ही श्री जस्टिस वी.आर. कृष्णा अयैर एवम् असंगठित क्षेत्र करोड़ो मजदूरों की अन्तरात्मा की आवाज थी जिसकी वजह से श्रम मन्त्री श्री ऑस्कर फर्नाण्डीज इस बिल को लोकसभा में नहीं रख सके।

अब हमारे पास संसद के अगले सत्र के शुरू होने तक सिर्फ थोड़ा सा समय है। इस दौरान पाँच राज्यों में विधान सभा के चुनाव होने है जो बाद में आम चुनाव का रास्ता भी खोलेगें।

इस दौरान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सभी गठबन्धनों राष्ट्रीय अभियान समिति, एन.सी.एल., एन.टी.यू.आई., सोशल सिक्योरिटी नाओ, और सभी केन्द्री मजदूर संगठनों को अपने अलग–अलग काम करने के वर्तमान रूख के बारे में एक बार फिर सोचना होगा। इस दौरान सभी राजनैतिक दलों को भी इस सरकारी बिल पर अपना रूख स्पष्ट करना होगा। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भला चाहते हैं उन सभी के एक मंच पर आने की जरूरत है। हम यह दोहराना चाहते है कि 2007 के इस भ्रामक सरकारी अधिनियम से एक भी श्रमिक को फायदा पहुँचने वाला नहीं है, न ही इस गठबन्धन सरकार को इससे एक भी वोट मिल सकेगा। गठबन्धन सरकार से बाहर आ गये वाम दलों को भी अपने राज्य सभा सदस्यों द्वारा दिए गये बयानो पर अवश्य विचार करना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संगठनों द्वारा लिया गया एक साहसी कदम, जिसमें उन राजनैतिक दलों का सहयोग मिले जो अपने क्षुद्रस्वार्थो को छोड़ जनता के उन मुद्दों को प्राथमिकता दें जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकारण की बुराइयों से दूर सोच सकते है, ही के दर अस्ल एक नया रास्ता निकाल सकता है।

हम सभी इच्छूक संस्थाओं/संगठनों से यह अपेक्षा करते है कि वो 10 दिसम्बर 2008 (मानव अधिकार दिवस) पर राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन आयोजित करें जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के मानव अधिकारों के लिए उपयुक्त होगा।

10, 11 व 12 दिसम्बर को दिल्ली में राष्ट्र स्तरीय घरना आयोजित किया जायेगा ताकि अधिकाधिक संगठन इसमें शामिल हो सकें।

सभी से सहयोगी की अपेक्षा में

आपका

दिनॉकः 9/11/2008

सुभाष भटनागार

निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा 24.10.2008 को आई.एस.आई लोधी रोड़, नयी दिल्ली में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय

(1) सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा विकास मार्ग दिल्ली पर मैट्रो निर्माण के दौरान हुए दुर्घटना की जाँच करवाई जाये जो 1996 के कानून के तहत मापदण्डों की विफलता की जाँच करे और निकट भविष्य के लिए सुरक्षाओं को सुझाए।

(2) 11 नवम्बर 2008 को जंतर मंजर दिल्ली पर एक रैली का आयोजन किया जाये जिसमें 1996 के कानून को निश्चित समय में दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया जाये। इस रैली में श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार व श्री मंगतराम, श्रम मन्त्री दिल्ली सरकार व दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दलों के नेताओं को आमन्त्रित किया जाये।

(3) दिल्ली बोर्ड की एक आपात बैठक बुलायी जाये जो दुर्घटनाओं की जाँच करे, सुरक्षा उपाय सुझाए, 2010 राष्ट्रमण्डल खेलों की सभी महत्वपूर्ण निर्माण साइट्स पर अनिवार्य पंजीकरण हो, बडे निर्माण कार्यपर भी यही व्यवस्था हो।

(4) सभी राज्यों से यह सूचना एकत्रित की जाये कि वहाँ 1996 के निर्माण मजदूर कानून के कियान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है ताकी सर्वोच्च न्यायालय में निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति की तरफ से दायर जनहित याचिका का सबको पूरा सहयोग मिल सके।

(5) केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल द्वारा निर्माण मजदूर कल्याण कोश से प्रवासी निर्माण मजदूरों के अस्थायी आवास हेतु व्यवस्था करवाने के लिए पारित संशोधन की छान–बीन की जाये।

(6) राज्यकर्मचारी बीमा योजनाओं को सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए लागू करवाने की व्यवस्था बनाने के लिए, जिसमें प्रबन्धन की ओर से जमा होने वाला हिस्सा निर्माण मजदूर बोर्ड द्वारा जमा करवाया जाये आई एस आई कानूने में संशोधन व अन्य जरूरतों पर विचार किया जाये।